BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH SITTING AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 456 OF 2023

IN THE MATTER OF:

RAM RANG SHUKLA ......PETITIONER

VERSUS

STATE OF U.P ....RESPONDENT

I N D E X

SR. NO.	PARTICULARS
1.	Reply Affidavit on behalf of Respondent No.04.
2.	**ANNEXURE RA-01** True copy of Order dated 07.08.2024 passed by this Hon'ble Court.
3.	**ANNEXURE RA-02(COLLY)** True Copy of Consent to operate dated 31.03.2011, under Water and Air Act.

THROUGH,

SHARAD CHAUHAN
ADVOCATE-ON-RECORD
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 04
CHAMBER NO. 203, M.C SETALVAD CHAMBERS
BLOCK, SUPREME COURT OF INDIA,
NEW DELHI-110001
8510052778
SHARADADVOCATE22@GMAIL.COM

DATED: 20.08.2024
PLACE: NEW DELHI

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH SITTING AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 456 OF 2023

IN THE MATTER OF:

RAM RANG SHUKLA ......PETITIONER

VERSUS

STATE OF U.P ....RESPONDENT

AND IN THE MATTER OF:

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 04 I.E M/S C.H ENT BHATTA UDYOG.

1. The abovementioned Original Application is listed before this Hon'ble Tribunal on 07.08.2024 and after hearing the matter at length this Hon'ble Tribunal was gracious enough to grant time to Respondent no. 04 to file the reply in respect of response filed by state of Uttar Pradesh and listed the present matter for further consideration on 22.08.2024. A True copy of order dated 07.08.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE RA-01.**
2. It is most respectfully submitted that the state of Uttar Pradesh in its reply dated 05.08.2024 has specifically stated that as per the judgment of this Tribunal dated 07.05.2015, in Appeal no. 74 of 2014 titled as M/s Jai Hanuman ENT Udyog versus UPPCB, this Tribunal observed that the Uttar Pradesh Brick Klin (Siting Criteria and Establishment) Rules 2012 which came in to effect on 24.06.2012 is not retrospective in nature but infact it is retroactive in nature therefore the Brick Klin which were

established, before the Brick Klin Rules of 2012 have not taken the prior consent i.e CTE and CTO under the Air and Water Act, which were relevant laws before the enactment of Uttar Pradesh Brick Klin Rules, 2012, then in that case all the Brick Klin units shall be treated as illegal as per the Air and Water Act and therefore they shall be governed by the Uttar Pradesh Brick Klins (Siting Criteria and Establishment) Rules 2012 which came into effect from 24.06.2012 which is also the date of enforcement of the aforesaid rules.

3. It is further submitted that the Brick Klin unit of Respondent No. 04, was established as per the Consent to Establish dated 23.03.2011 was granted by UPPCB and thereafter the UPPCB had granted Consent to Operate dated 31.03.2011 under Section 25 and 26 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Section 21 of Air (Prevention and Pollution Control) Act, 1981 and thereafter the deponent has started operating its unit after taking prior permission under the relevant laws which were in force at the time of setting up of the deponents unit. A true copy of CTO dated 31.03.2011, under Water and Air Act is annexed and marked as **ANNEXURE RA-02(COLLY).**

4. Therefore the Brick Klin of the deponent had started operating from 31.03.2011 after talking Consent to

Operate from UPPCB under the Air and Water Act which were enforced at the time of the establishment of the Brick Klin therefore at the time of commencement of the Brick Klin rules of 2012 the Brick Klin of the deponent was legally operating as per the Environmental Laws, therefore the Brick Klin of the Deponent need not to be governed by the Uttar Pradesh Brick Klin (Siting Criteria and Establishment) Rules, 2012.

5. Hence the present Reply Affidavit.

THROUGH,

SHARAD CHAUHAN
ADVOCATE FOR RESPONDENT NO. 04

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

IN-UP52949133387164W

Certificate No.	:	IN-UP52949133387164W
Certificate Issued Date	:	20-Aug-2024 04:22 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14186304/ TARABGANJ/ UP-GND
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14186304025666647144291W
Purchased by	:	HAMID ALI SON OF SALAMATULLA
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	HAMID ALI SON OF SALAMATULLA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	HAMID ALI SON OF SALAMATULLA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARIAL STAMP RS. ... AFFIXED
Jata Shankar Singh
NOTARY TARABGANJ - G...

NOTARIAL NOTARIAL

सत्यमेव जयते

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
SITTING AT NEW DELHI
O.A. NO: 456/2023

IN THE MATTER OF:

RAM RANG SHUKLA Please write or type below this line ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. ...RESPONDENT

AFFIDAVIT

NOTARY Jata Shankar Singh Tehsil Tarabganj Regn. No. 58/17 Expiry Date UTTAR PRADESH GOVT

I, Hamid Ali aged about 54 years, S/o Salamat Ullah, R/o 33, Rassolpur, Wazirganj, Karda, Gonda, Uttar Pradesh- 271124, presently at Gonda, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That I am the respondent No.4 in the above mentioned original application and I am fully conversant with the facts and circumstances of the present case and competent to swear this affidavit.
2. That I have read and understood the contents of this affidavit hence swearing the present affidavit.
3. I state that the contents of the above mentioned affidavit which has been drafted under my instructions and the contents are true and correct to the best of my knowledge and belief and the same is read over to me in vernacular language and no part of it is false and nothing material have been concealed therefrom.

DEPONENT

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

VERIFICATION:-

I the above named deponent, do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Gonda, Uttar Pradesh on the day of August, 2024.

DEPONENT

Through,
SHARAD CHAUHAN
ADVOCATE-ON-RECORD

NOTARY
Jata Shankar Singh
Teh. Tarabganj
Regn. No. 58/17
Expiry Date
GOVT. UTTAR PRADESH

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
ON 20-8-2024
Jata Shankar Singh
ADV. & NOTARY Tarabganj Gonda (U.P.)

ANNEXURE-RA-01

Item No. 12 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 456/2023

Ram Rang Shukla Applicant

Versus

State of U.P. Respondent

Date of hearing: 07.08.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None
Respondents: Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate for State of U.P.(through VC)
Mr. Pradeep Misra Advocate for Respondent no.3- UPPCB (through VC).
Mr. Sharad Chauhan Advocate for Respondent No. 4- Project Proponent(through VC).

ORDER

1. Learned counsel for respondent 4 stated that response has been filed by Uttar Pradesh Pollution Control Board vide email dated 30.07.2024 and the State of U.P vide email dated 05.08.2024. Thus, he may be granted a weeks' time to file his reply to the said reports.

2. Prayer is allowed. He may file his reply within one week.

3. List on 22.08.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August 07, 2024
AB

202 ANNEXURE-RA-02 (Colly)

दूरभाष/फैक्स : 05278–225411

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
८/२/४६, रिकाबगंज, फैजाबाद

संदर्भ सं0 3119/W सहमति/ आदेश /2011 दिनांक 31/03/2011

सेवा में,

मै0 सी0एच0 ईंट भट्ठा उद्योग
बँधवा वजीरगंज
गोण्डा

विषय : जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम 1974 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक........ दिनांक........ के साथ संलग्नक सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ ले आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया, सशर्त सहमति आदेश पत्रांक........ दिनांक........ संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं0 1, 4, 6 पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापन मीटर अवश्य लगवायें प्रत्प्रवाह मीटर की मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी–नाच या अन्य कोई मापन यंत्र लगवायें। वी–नाच की मापी गयी सूचनायें तथा केलीबेशन चार्ट समय–समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू प्रत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक महीने के भीतर प्रेषित करें।
5. आपके उद्योग की ऑडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्णनियोजन (अचल संम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति – वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाये।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्र का प्रभावी संचालन तथा रख–रखाव सुनिश्चित करें। जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता भूमिगतजल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हो।

9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

10. आपको उपकर अधिनियम 1977 में वॉछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रति भेजने की सलाह दी जाती है।

इस सहमति आदेश में अंकित प्रावधानों तथा सहमति शर्तों के होते भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत ःन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तो में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0 सं0 ..../

तद् दिनांक....................................

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त – उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, फैजाबाद

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष/फैक्स : 05278– 225411

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
8/2/46, रिकाबगंज, फैजाबाद

फार्म XV

सहमति आदेश पत्र

संख्या 3119/W/सहमति/आ0ब्र/2011 फैजाबाद दिनांक 31/03/2011

विषय : सहमति मैसर्स सी0एच0 ईंट भट्ठा उद्योग बँधवा वजीरगंज गोण्डा को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 /26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण

सन्दर्भः आवेदन पत्र या .... दिनांक............

1. जलराशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र निर्देश में मै0 सी0एच0 ईंट भट्ठा उद्योग, बँधवा वजीरगंज पै गोण्डा को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगरपालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/कुएं में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकरण दिया जाता है।
2. यह सहमति वर्ष 20............ के मास .... से............ दिनांक............ से 17-03-2011 .... अवधि 30-09-2011 .... के लिए विधि मान्य होगी।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्रावधानों तथा शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, और इसके संशोधित नियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के अनुसार जो उचित हो, का परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

अनुलग्नक संलग्नक

(सहमति शर्तें).

क्षेत्रीयअधिकारी

फैजाबाद

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

संलग्नक आदेश सं0........................./सहमति   दिनांक......................का संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निर्धारण मी ^{3}	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ^{3}
(i) घरेलू		
(ii) औद्योगिक		
अ. प्रक्रिया जल ब्लीड/धोने के जल सहित		
ब. शीतलन जल		

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग, बंद जल प्रवाह के प्रक्रिया बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्टोर्म वाटर ड्रेन में निस्तारित न हों।

3. घरेलू उत्प्रवाह टैंक या अन्य शुद्धिकरण किया जाय जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हों।

20 डिग्री से0 पर 5 दिन की बी0ओ0डी0	30 मिग्रा/ली0 से अधिक न हो
कुल निलम्बित ठोस	100 मिग्रा/ली0 से अधिक न हो

4. सभी प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकरण किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा संख्या 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6.04.83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

5. अन्य प्रचालक जिनके मानक में न दिये गये हों उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चहिए।

7. विश्लेषित के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहाकल से एकत्रित होना चाहिए।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके ताले लगाने की व्यवस्था युक्त कम से कम 15 X 15 साइज और आवश्यक गहराई के ईंट या सीमेंट के चैम्बर होने चाहिए। टर्मिनल मेनहोल के उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की व्यवस्था होनी चाहिए।

10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु ....में पक्के, ढके हुए बंद पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारण किया जाये।

पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसे हानि न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये। बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाया जाये।

11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक.......................... या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।

12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजें।

13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र, इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड का भेजें।

14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली–भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल व उत्पादन या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बह कर जा सकते हों खुले में ढेर न लगाया जाये।

15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली–भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।

(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव पैदा न हो, जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाये।

(ii) ज्वलनशील, कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्ज्वलन किया जाये।

(iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग किया जाये।

16. विशेष पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्ति कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील या ड्रम में रखा दफनाया जाये। विषमुक्त करने या मुहर बंद करने और दफनाने का कार्य बोर्ड में अधिकृति व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाये।

17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोष पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाये और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उलंघन हो तो बोर्ड को टैलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाये।

18. प्रार्थी फैक्ट्रीके अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसाव विरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिये।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तरण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृति एजेन्सी के लिए उप्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिये।

20. शुद्धिकृति घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाये।

21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिये गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करे तो वह कानूनन अधिनियम के प्राविधनों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के ए उत्तरदायी होगा।

22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले न परिवर्तन करे।

23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27 (2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाली है तब तक लागू रहेगी।

24. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।

25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और उस बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।

27. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाये। जल के भराव जिससे एनारोब्रिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाये।

28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों), के नाम पते व टेलीफोन की सूची दी जाये।

29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/ सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष : 05278– 225411

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

८/२/४६, रिकाबगंज, फैजाबाद

सहमति आदेश पत्र

संख्या 3120/ /सहमति (वायु) आदेश /2011 दिनांक 31/03/2011

विषय : सहमति मै0सी0 एच0 ईंट भट्ठा उद्योग बँधवा वजीरगंज गोण्डा

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 /22 के अन्तर्गत।

सन्दर्भ :आवेदन संख्या दिनांक

महोदय,

1. वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त सन्दर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 सी0एच0 ईंट भट्ठा उद्योग बँधवा वजीरगंज गोण्डा को अपने संयन्त्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत कियाजाता है।
2. यह सहमति दिनांक 17-03-2011 से 30-09-2011 अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसकेसंशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित होपरिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

अनुलग्नक संलग्नक

(सहमति शर्तें)

फैजाबाद

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बार्ड

फैजाबाद

संलग्नक सहमति आदेश संख्या.../सहमति (वायु) आदेश/..............

दिनांक.......................................

सहमति शर्ते

1. फ्लू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन अधिक नहीं होना चाहिए।

(i) Fix chimney सम्बद्ध चिमनी
(ii) –
(iii) –
(iv) –
(v) –

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।

(i) सस्पैन्डेड पार्टिकुलर मैटर (एस. पी. एम.) 750 मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिकमीटर
(ii) मेटल (आयरन, जिंक, कापर आदि)
(iii) हाइड्रोजन, सल्फरट्राई ऑक्साइड, सल्फेटमिन्ट
(iv) सल्फर डाई ऑक्साइड पी. पी. एम.
(v) कार्बन मोनो ऑक्साइड –
(vi) हाइड्रोकार्बन –
(vii) अमोनिया –
(viii) फ्लोरीन –
(ix) मरकैप्टन –
(x) अन्य –

3. समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों का मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापना उद्योग के प्रस्तावित अथवाकार्यरत परिसर में ही हो।

5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापना (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।

6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों के कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाय।

7. इकाई परिक्षेत्र प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैफ का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाय।

8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के भीतर इकाई के समस्त स्टैफ से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तो का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई के द्वारा सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आंदेश प्राप्ति के........... ....3 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों व अनुपालन बोर्ड के संस्तुति के अनुसार कर लिया जाए।

10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा–29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो या बोर्ड एवं अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।

11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैफ से किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।

12. इकाई का रख–रखाव इस प्रकार इकाई से सुनिश्चित किया जाय कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन स्टैफ के अतिरिक्त अन्य बिन्दु से नहीं होना चाहिए।

13. इकाई द्वारा बोर्ड कर्मचारियों अथवा बोर्ड मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य'आउटलेट' से वायु का नमूना एकत्रित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी कृषक उपज उत्पादों को कोई नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाये तथा हटाने की सूचना को तत्काल बोर्ड को दी जाए।

15.. अवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों, आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमतिं आदेश का शर्तो का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तो अधिनियम के धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त किए जाने तक वैध रहेगी।

17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन–पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति पत्र आदेश को वैधता समाप्त हाने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी का कार्यान्यवन तिथि हो एवं प्रस्तावित उत्सर्जन की तिथि 10 दिन पूर्व (जो पहले भी हो) जमा किया जाए।

18. ~~बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध कार दी जायेगी।~~

19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थपना अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण में सम्बन्धित हो उपलब्ध करानी होगी।

20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर के अपने उद्योग के डाइरेक्टरर्स का पूरा दूनभाष संख्या की लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।

21. इस आदेश में अंकित सूचना तथा शर्तो के होते हुए भी उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड फैजाबाद वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधन अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो,परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

क्षेत्रीय अधिकारी

पंजीकृत
दूरभाष/फैक्स : 05278–225411

क्षेत्रीय कार्यालय
उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

८/२/४६, रिकाबगंज, फैजाबाद

संन्दर्भ संख्या 3120/ सहमति वायु/ 3112 /२००१ दिनांक 31/03/2001

सेवा में,

मे० सी०एच० ईंट भट्ठा उद्योग
बँधवा वजीरगंज
गोण्डा

विषय :– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन–पत्र दिनांक........................का अवलोकन करें आपके आवेदन पत्र का परिक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति वायु आदेश संख्या........................ दिनांक........../..........200 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या 3 से 9, 12, 13, 14, 15, 16 जो नीचे वर्णित किया जाता है।

1– सहमति में दिये शर्तो एवं नीचे दिये गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2– ईंट भट्ठे से संलग्न ....के.वी.ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊंचाई भूतल/भवन छत से 27 मी. ऊंचा किया जाय।

3– फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र की प्राप्ति के एक के माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4– वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे ग्रेविटेशनल सैटलिंग चैम्बर का प्राविधान, संचालन एवं रख–रखाव इस प्रकार किया जाए, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5– इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं उद्योग का ले आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6– आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।

7– उचित मात्रा से वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर महीने भेजना सुनिश्चित करें।

8– वह सहमति केवल वर्तमान उत्पाद क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिये ही मान्य है।

9– आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण

विनियोजिन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति – वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।

10– ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।

11– आपको उपकर अधिनियम 1997 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रति भेजने की सलाह दी जाती है।

12– इकाई द्वारा परिवेशीय वायु गुणता बोर्ड मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाय। इकाई के संचालन के फलस्वरूप परिवेशीय वायु की गुणता कुप्रभावित होने की दशा में इकाई के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

13- यह सहमति मात्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.96 के अनुपालन में आप द्वारा स्थापित एवं सत्यापित फिक्सड चिमनी एवं सेटलिंग चैम्बर से निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्सर्जन करने हेतु ही विधिमान्य है|

14- आप द्वारा जिलापरिषद् का लाइसेन्स एक माह में प्रेषित किया जायेगा, एवं यह सहमति फ्लाई एट्टी से आच्छादित होने की दशा में अथवा जिला परिषद् की गाइड लाइन के अनुरूप किलन की स्थापना एवं संचालन न किये जाने की अवस्था में लागू नहीं है|

15- यह सहमति जन शिकायते प्राप्त होने पर अथवा वायु गुणता पर विपरीत प्रभाव पड़ने की अवस्था में स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं आपको सलाह दी जाती है कि ईटों के बनाने में प्रयुक्त मृदा में 50 प्रतिशत तापीय विद्युत संयंत्र की राख का प्रयोग मिश्रण के रूप में भारदर के बराबर किया जायें|

16- आप द्वारा किलन से वर्तमान सीजन के उत्सर्जन प्रारम्भ करने के 15 दिन के अन्दर प्रथम उत्सर्जन आख्या प्रेषित करें, अन्यथा यह आदेश निरस्त कर दिया जायेगा|

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

( )

क्षेत्रीय अधिकारी

संदर्भ संख्या..वायु प्रदूषण..तद दिनांक..........................

प्रतिलिपि :–

1– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड..को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– कम्प्यूटर अनुभाग।

क्षेत्रीय अधिकारी

TRUE COPY